राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प1(2)(1)कार्मिक/क-3/99 जयपुर, दिनांकः 30-4-99

परिपत्र

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
विशिष्ट शासन सचिव,
विभागाध्यक्ष।

विषयः- विभागीय जांचों को त्वरित गति से निस्तारण करने के संदर्भ में।

राजसेवकों के विरुद्ध राज. असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करने एवं सम्पादित करके अंतिम रूप से शीघ्र निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं लेकिन यह देखने में आया है कि विभागीय जांच कार्यवाहियां अति विलम्ब से प्रारम्भ की जाती हैं और उनके निस्तारण में भी अत्यधिक समय लगाया जा रहा है इससे अनावश्यक रूप से जटिलताएं उत्पादित हो रही हैं।

इस संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि-

1. राज्य सेवकों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रकरण ध्यान में आते ही तत्काल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक जांच सम्पादित करवाई जावे और यह कार्यवाही तीन माह में पूरी कर लेनी चाहिये। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन पर संबंधित प्राधिकारी को एक माह के अंदर अनुशासनिक कार्यवाही करने/नहीं करने का निर्णय ले लेना चाहिये।

2. विभागीय जांच कार्यवाही के प्रस्ताव सुनिश्चित रूप से तैयार किये जाने चाहिये जिसमें आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र सुस्पष्ट एवं सुसंगत तथ्यों सहित विरचित किये जाने चाहिये साथ ही संबंधित अभिलेख जिसके आधार पर आरोप प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो, समस्त विवरण सहित सुस्पष्ट रूप से तैयार किया जाय। संबंधित प्राधिकारी को जांच कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि आरोप पत्र, आरोप

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, ...

विवरण पत्र, अभिलेख सूची, परिशिष्ट 'अ' व 'ब', अधिकारी के निलम्बन की सूचना, सेवानिवृत्ति की स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति, राजसेवक के संदर्भ में सेवा विवरण संबंधी सूचनाएं, सेवानिवृत्ति तारीख सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है ताकि इस संदर्भ में अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके।

3. यह देखने में आया है कि परिशिष्ट 'अ' में मात्र अभिलेख के आधार पर आरोपों को प्रमाणित करने हेतु अंकन कर दिया जाता है और गवाहों के नाम जो आरोप को प्रमाणित करेंगे, प्रस्तावित नहीं किये जाते है जबकि जांच अधिकारी के समक्ष राजसेवक अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को अस्वीकार कर देता है तो इनके प्रमाणिकरण हेतु गवाह की आवश्यकता होती है अतः प्रत्येक स्थिति में परिशिष्ट 'अ' में अभिलेखों को प्रमाणित करने वाले गवाहों के नाम आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जावें।

4. अनेक प्रकरणों में राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि पूर्वकाल की घटना के लिए विभागीय जांच कार्यवाही अनेक वर्षों उपरांत प्रस्तावित की जाती है जबकि घटना को घटित हुए 10-12 वर्ष और उससे भी अधिक वर्ष हो गये होते हैं। वर्तमान में न्यायालयों का रुख इस बिन्दू के प्रति अति कठोर है और विलम्ब से विभागीय जांच कार्यवाहियां प्रस्तावित करके सम्पादित नहीं करने में यदि न्यायोचित एवं संतोषप्रद कारण उपलब्ध नहीं है तो सम्पूर्ण विभागीय जांच कार्यवाही को इसी आधार पर न्यायालय निरस्त करते रहे है। अतः प्रथमतः अनियमितताओं की जैसे ही सूचना जानकारी में प्राप्त हो, बिना किसी विलम्ब के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। द्वितीय जिन प्रकरणों में विलम्ब से कार्यवाही प्रारम्भ हुई है उनके संदर्भ में न्यायोचित एवं संतोषप्रद कारणों का उल्लेख विभागीय जांच कार्यवाही के प्रस्तावों के साथ ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। घटना के घटित हो जाने के उपरांत विलम्ब से कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किये जाने में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

5. अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राजसेवक के विरुद्ध प्रस्तावित आरोप प्रमाणित करने हेतु जो अभिलेख प्रस्तावित किया जाता है वह परिपूर्ण नहीं होता है और राजसेवक आरोप पत्रों का जवाब प्रस्तुत करते समय सुसंगत अभिलेख की अतिरिक्त रूप में मांग करता है और वह वास्तव में सुसंगत भी होता है अतः यह ध्यान देने योग्य है कि अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते समय सभी सुसंगत अभिलेख आवश्यक रूप से भिजवाया जाय।

6. राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार करते समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यदि प्रकरण संयुक्त विभागीय

जांच से संबंधित हैं तो ही संयुक्त विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित की जाय। अनावश्यक रूप से अलग अलग मामलों के लिये भी संयुक्त विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाती है जबकि आरोप की घटना, विषय वस्तु अलग अलग कार्यों से संबंधित होती है। अतः संयुक्त विभागीय जांच के प्रकरणों में विशेष रूप से परीक्षण किया जाना चाहिये कि सभी आरोपित अधिकारी स्पष्ट रूप से एक ही विषय वस्तु के संव्यवहार से जुड़े हुए हों अन्यथा स्थिति में अलग अलग जांच कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

7. विभागीय जांच कार्यवाही के प्रस्ताव जो कार्मिक विभाग को राज्य सेवा स्तरीय अधिकारियों के संबंध में प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव के हस्ताक्षरों से ही भिजवाया जावे। अपूर्ण प्रस्ताव कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

8. जिन राजसेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही सम्पादित हो रही है, नियुक्तिकर्ता अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि उनके स्थानान्तरण की सूचना अनुशासनिक प्राधिकारी को समय-समय पर उपलब्ध करायें ताकि नवीनतम पते पर पत्राचार सम्पादित हो सके और अनावश्यक पत्राचार के विलम्ब से बचा जा सके।

8. विभागीय जांच संबंधी नियमों में उपलब्ध देय सभी बचाव के अवसर आरोपित अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी है लेकिन संबंधित राजसेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है, इन अवसरों का लाभ नहीं उठाते और विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से अनावश्यक पत्राचार करते हैं और असहयोगात्मक रुख अपनाते हैं। यदि वांछित देय अवसर का संबंधित राजसेवक लाभ नहीं उठाना चाहे तो उनके संदर्भ में अनावश्यक पत्राचार नहीं करके आगे नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिये।

9. अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग एवं कार्यालयों से विभागीय जांच के संदर्भ में अतिरिक्त अभिलेख, टिप्पणियां एवं सूचनाएं समय समय पर मांगी जाती है, उनके प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जाता है जबकि इनका प्रत्युत्तर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

10. विभागीय जांच कार्यवाहियां जब जांच अधिकारी के समक्ष लम्बित होती है तो अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जाता है, अभियोजन के गवाह यथा समय प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं और अनेक अवसरों पर उपस्थापक अधिकारी स्वयं भी उपस्थित नहीं होते हैं। और स्थिति यह देखी गई है कि स्वयं राज्य पक्ष की ओर से विभागीय जांच कार्यवाही में विलम्ब

कारित किया जाता है। जबकि राज्य पक्ष की ओर से अनावश्यक रूप से तारीख पेशी नहीं लेनी चाहिये, अभिलेख सूची गवाहों की सूची एवं गवाहों की प्रस्तुति प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये।

11. विभागीय जांच कार्यवाही में परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित दस्तावेज एवं गवाहों की प्रस्तुति जांच अधिकारी एवं उपस्थापक अधिकारी यथावत नहीं करते हैं और स्वेच्छा से चुने हुए दस्तावेज एवं गवाह प्रस्तुत करते है। इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं गवाह प्रस्तुत नहीं हो पाते है अतः यह निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 'अ' में वर्णित सभी दस्तावेज एवं गवाहों को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे और यदि किसी स्थिति में इनकी प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी जाए तो सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करके उचित दिशानिर्देश प्राप्त किये जावें।

12. राज. लोक सेवा आयोग को दण्डादेश के संदर्भ में इस प्रकार के प्रकरण भी प्रेषित किये जाते है जिनमें आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं होता अतः आयोग को प्रकरण प्रेषित करने से पूर्व परामर्श की आवश्यकता है भी अथवा नहीं सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये और अनावश्यक पत्राचार नहीं हो इसे सुनिश्चित करने हेतु आयोग को संदर्भित किया जाने वाला प्रकरण पूरी तरह से परिपूर्ण एवं सुनिश्चित हो यह देखा जाना चाहिये।

13. विभागीय जांच कार्यवाही सम्पादित करने हेतु समय सारणी प्रसारित कर रखी है। जहां तक संभव हो सके उसके अनुसार ही विभागीय जांच कार्यवाही सम्पादित करने का प्रयास करना चाहिये और यदि इस निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सम्पादित किया जाना संभव नहीं है तो इसमें आ रही कठिनाइयों से उच्च प्रधिकारी को अवगत कराकर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

14. सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करके निस्तारित की जानी चाहिये। संबंधित प्राधिकारी को आगामी वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राजसेवकों के विरुद्ध लम्बित प्राथमिक जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव, सम्पूर्ण सूचनाएं एवं सुसंगत अभिलेख एकत्रित कर लेना चाहिये और संबंधित राजसेवक को कम से कम छः माह पूर्व आरोप पत्रादि को अंतिम रूप देकर प्रसारित करवा देना चाहिये। राज्य सरकार इस स्थिति को गंभीर मानती है कि सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व और सेवानिवृत्ति के अवसर पर ही आरोप पत्र प्रसारित किये जाते हैं जबकि आरोप पत्र का प्रसारण हर स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले राजसेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व प्रसारित कर देने चाहियें।

15. जो राजसेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हों उनके संदर्भ में लम्बित विभागीय जांच का उच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

16. राज्य सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही जिसमें निलम्बन भी सम्मिलित है, सम्पादित करने हेतु कार्मिक विभाग ही सक्षम है। लेकिन अनेक विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग स्वयं के स्तर से इस सेवासंवर्ग के अधिकारियों को निलम्बित कर देते हैं और निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव दीर्घकाल तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में निलम्बन कार्यवाही अवैधानिक स्थिति में रहती है। इसके लिये निलम्बन आदेश प्रसारितकर्ता अधिकारी जिम्मेदार रहेगा। अतः राज्य सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष स्वयं के स्तर पर निलम्बन नहीं करें और कार्मिक विभाग को ही निलम्बन के प्रस्ताव प्रस्तुत करायें। यदि आपातकालीन आवश्यक स्थिति में किसी अधिकारी को निलम्बित करना आवश्यक हो तो मुख्य सचिव महोदय एवं शासन सचिव कार्मिक विभाग की अनुमति से निलम्बित किया जाय और निलम्बन की पुष्टि के साथ-साथ आरोप पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

17. प्रशासनिक विभागों ने वर्तमान में जिन प्रकरणों में स्वयं के स्तर से राज्य सेवा के अधिकारियों को निलम्बित कर रखा है उनकी निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव एवं आरोप पत्र समस्त अभिलेख सहित बिना किसी और विलम्ब के अनुशासनिक प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत करावें। इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गये निलम्बन की पुष्टि कर दी है और प्रशासनिक विभाग ने अभी तक इस प्रकार के मामलों में आरोप पत्र एवं अभिलेख निलम्बित राजसेवक के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किये हैं उन्हें तत्काल प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार के प्रकरणों में कारित विलम्ब को राज्य सरकार गंभीर मानती है।

18. **राजसेवकों के कर्त्तव्य से स्वैच्छिक अनुपस्थिति के संदर्भ में** यह देखने में आया है कि राजसेवक दीर्घकाल तक अनुपस्थित रहते हैं और यथा समय उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती है और वे इस प्रकार लगातार सेवा में बने रहते हैं और पश्चातवर्ती समय में दीर्घकालीन स्वैच्छिक अनुपस्थिति के उपरांत कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जाते हैं। इस संदर्भ में विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि अनुपस्थित राजसेवक के विरुद्ध समस्त प्राधिकारियों को जिनके नियंत्रण में राजसेवक नियुक्त है, यह चाहिये कि अनुपस्थित राजसेवक के विरुद्ध दो माह की अनुपस्थिति के उपरांत

1- सचिव, राजस्थान [illegible]
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
[illegible] जोधपुर/ जयपुर।

अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारी को समस्त अभिलेख के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिया जावे। दीर्घकाल तक स्वेच्छा से अनुपस्थिति राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित राजसेवक के नियंत्रक अधिकारी को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

19. राजसेवकों के स्वैच्छिक अनुपस्थिति के प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये जांच कार्यवाही तत्परता से सम्पादित की जायेगी और अनावश्यक पत्राचार, स्मरण पत्र इत्यादि की स्थिति से विभागीय जांच को विलम्बित नहीं किया जायेगा। स्वैच्छिक अनुपस्थिति प्रमाणित होने पर राज. सेवा नियमों के नियम 86 के प्रावधानों के अनुरुप सजा के बारे में संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी उचित निर्णय पारित करे।

20. समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष उक्त परिस्थितियों में समुचित कार्यवाही करके विभागीय जांचों को त्वरित गति से निस्तारित करने हेतु कार्यवाही करें एवं उल्लेखित दिशा निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव